02/08/22. पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थिया की ओर से जरिये श्रीमान वकील हबीब जोधपुरी उपस्थित। बहस सुनी गई। आदेश अलग से लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया। आदेश की पालनार्थ तहसीलदार को(?) हो। पालना प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली की जावे। पत्रावली निर्णित स्वरूप होकर दाखिल दफ्तर हो।

(signature)

उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.19 18:11:40 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी (बाड़मेर)

पीठासीन अधिकारी श्री प्रमोद कुमार आर.ए.एस

प्रकरण संख्याः 91/2022

प्रार्थीगण :–

1. हीराराम पुत्र तेजाराम
2. भूराराम पुत्र तेजाराम
3. धमा पुत्र तेजाराम
4. जेहा फौत के कायम मुकाम :–
   4/1 मूलाराम वल्द जेहाराम
   4/2 दलाराम वल्द जेहाराम
   4/3 बाबूराम वल्द जेहाराम
   4/4 डालूराम वल्द जेहाराम
   4/5 बबरीदेवी पत्नी जेहाराम
   जाति जाट निवासी शिवपुरा ग्राम पंचायत नेहरों का वास तहसील गुड़ामालानी

बनाम

विप्रार्थीगण :–

1. करनाराम पुत्र गुणेशाराम
2. मगाराम पुत्र मेहाराम
3. वालाराम पुत्र शिवजीराम
4. टुगीदेवी पत्नी प्रभुराम
5. हरदेव शर्मा पुत्र बाबूलाल
6. रणछोडराम पुत्र भीाराम
7. भीखाराम पुत्र जुगताराम
   कौम जाट व ब्राहमण साकिन मंगले की बेरी
8. आम्बाराम वल्द धूडाराम कौम विश्नोई
9. गोरधन वल्द धूडाराम कौम विश्नोई साकिन गौंलिया गर्वा ग्राम पंचायत खडाली
10. मालाराम पुत्र जालाराम
11. मूलाराम पुत्र जालाराम
12. रामाराम पुत्र वालाराम
13. धीराराम पुत्र वालाराम
14. चिमाराम पुत्रताजाराम
15. मूलाराम पुत्र गुणेशाराम
16. पूनमाराम पुत्र गुणेशाराम
    कौम जाट साकिन शिवपुरा ग्राम पंचायत नेहरों का वास
17. नाराणाराम पुत्र धूकलाराम कौम विश्नोई
18. नारणा पुत्र ठाकराराम कौम विश्नोई
19. नवलाराम पुत्र जेठाराम कौम जाट
    कौम जाट साकिन शिवपुरा ग्राम पंचायत नेहरों का वास
20. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गुड़ामालानी/नौखडा

<u>**राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956**</u>

Signature Not Verified

—:: आदेश ::—

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.19 18:11:40 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक :– 02.08.2022

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु, नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढी का विप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश किया। प्रकरण दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विप्रार्थीगण के विरूद्ध बाबजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

गुडामालानी

हमने प्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जमाबंदी सम्वत् 2078 से स्थाई ग्राम मंगले की बेरी के खेत खसरा नम्बर 65 रकबा 1.7068 हैक्टेयर, ग्राम गोलिया गर्वा के खेत खसरा नम्बर 174/1 रकबा 6.5397 हैक्टेयर एवं ग्राम शिवपुरा के खेत खसरा नम्बर 1/1, 6/1 रकबा क्रमशः 3.5046, 1.9263 हैक्टेयर का अवलोकन किया। जिसमें प्रार्थीगण का नाम बतौर खातेदारी दर्ज है। प्रार्थीगण की भूमि के चारों ओर सीमा चिन्ह व पक्की माठे नहीं होने से काश्त व प्राकृतिक पैदावार लेते समय तनाव व विवाद की स्थिति पडौसी खातेदारों के साथ उत्पन्न हो जाती है जिससे बचने के लिये प्रार्थीगण अपनी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते है। ऐसी स्थिति में दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पक्के नेखम स्थापित करवाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होने एवं प्रार्थीगण विवादित भूमि का राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी को आदेशित किया जाता है दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित खसरा ग्राम मंगले की बेरी के खेत खसरा नम्बर 65 रकबा 1.7068 हैक्टेयर, ग्राम गोलिया गर्वा के खेत खसरा नम्बर 174/1 रकबा 6.5397 हैक्टेयर एवं ग्राम शिवपुरा के खेत खसरा नम्बर 1/1, 6/1 रकबा क्रमशः 3.5046, 1.9263 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में सीमाज्ञान करवाकर चारों ओर पक्के नेखम स्थापित करावें। पक्के नेखम स्थापित करवाने हेतु तहसीलदार गुड़ामालानी को 1500/– शुल्क पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर शुल्क प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार गुड़ामालानी को थानाधिकारी पुलिस थाना आर.जी.टी. रावलीनाडी नगर से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार [illegible] पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे। तहरीर जारी हो। पालना प्रतिवेदन [illegible] पर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फैसल सुमार [illegible]।

आदेश आज दिनांक 2/8/20.... को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(प्रमोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी

उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.19 18:11:40 IST
Reason: SelfAttested